फर्द अहकाम
(नियम 26)

विरधाराम पुत्र कानाराम जाति मेगवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा वगैरहा

बनाम ईराराम पुत्र वगताराम जाति निवासी बिजलिया निवासी रंगाला तहसील बागोडा हाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी

मुकदमा संख्या 225 / 2023

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12.10.2023	प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री पाबुराम बेनीवाल की ओर से यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता की अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने बाबत पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा लोलावा पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 3.01176 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 309/86 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 307/86 रकबा 0.4854 हैक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारवाडे आदि बने हुए है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ वक्त सेन्टलमेंट से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेड़े पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है, खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है। वप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 व उसके परिवार वाले झगडालू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण की भूमि के सेढ़े पर विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 304/296, 305/296, 87, 306/88, 88 ग्राम लोलावा की भूमि आई हुई है जिसके प्रार्थीगण की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी करने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त खसरान के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार सिणधरी के कार्यालय में विचाराधीन है। तहसीलदार सिणधरी के कार्यालय में विचाराधीन होने तथा विप्रार्थीगण को उक्त आवेदन का ज्ञात के कारण विप्रार्थीगण ज्यादा उग्र हो गये है तथा मौका पाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में जबरन काबिज होकर स्थाई निमार्ण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते हैं, प्रतिवादीगण द्वारा लूणी नदी से अवैध रूप पाईप लाईन लाकर वादीगण की खातेदारी में जबरन तरीके से पाईप लाईन निकाल कर सिंचाई करने पर उतारू है तथा इसी क्रम में अरसा पांच दिन पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 12. प्रार्थीगण के सेढ़े को तोड़ कर प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर अवैध्र कब्जा करने का प्रयास करने लगे तब प्रार्थीगण मौके पर गये तो विप्रार्थीगण विवाद कर चला गये एवं प्रार्थीगण को धमकी देकर गये है कि वह मौका मिलते ही प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर ओरडी का निर्माण करवा देंगें तथा प्रार्थीगण को जबरन बेंदखल कर देंगे तथा प्रार्थीगण ने मना किया तो वह उसके उपर झूठा मुकदमा करवाकर जेल भिजवा देंगे जबकि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने एवं प्रार्थीगण की भूमि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का विप्रार्थीगण को कोई प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी एवं कब्जे [illegible] से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा। यदि इसमें [illegible] जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी [illegible] भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है अतः प्रार्थी के प[illegible]में विप्रार्थी के विरूद इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे प्रार्थी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करतें हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न राजस्व रेकर्ड का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 304/296, 305/296, 87, 306/86, 88 की भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जो सलंग्न जमाबंदी संवत 2076 के अवलोकन से साबित है। विप्रार्थीगण सेढा पड़ौसी होने ससे कब्जे काश्त अथवा में उसमें किसी प्रकार का निर्माण बिना सीमाज्ञान के विचाराधीन प्रार्थना पत्र के निपटारे से पूर्व किया जाता है, तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। प्रस्तुत रेकर्ड व वकील प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यो के आधार पर प्रथम द्रष्यता प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी का बनना प्रतीत होता हैं अतःप्रथम द्रष्यता प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 304/296, 305/296, 87, 306/86, 88 के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर बिना विधिक स्वीकृति के पाईप नहीं बिछाये एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते–जबाव दिनांक 16.11.2023 को पेश हों।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

16.11.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

16/11

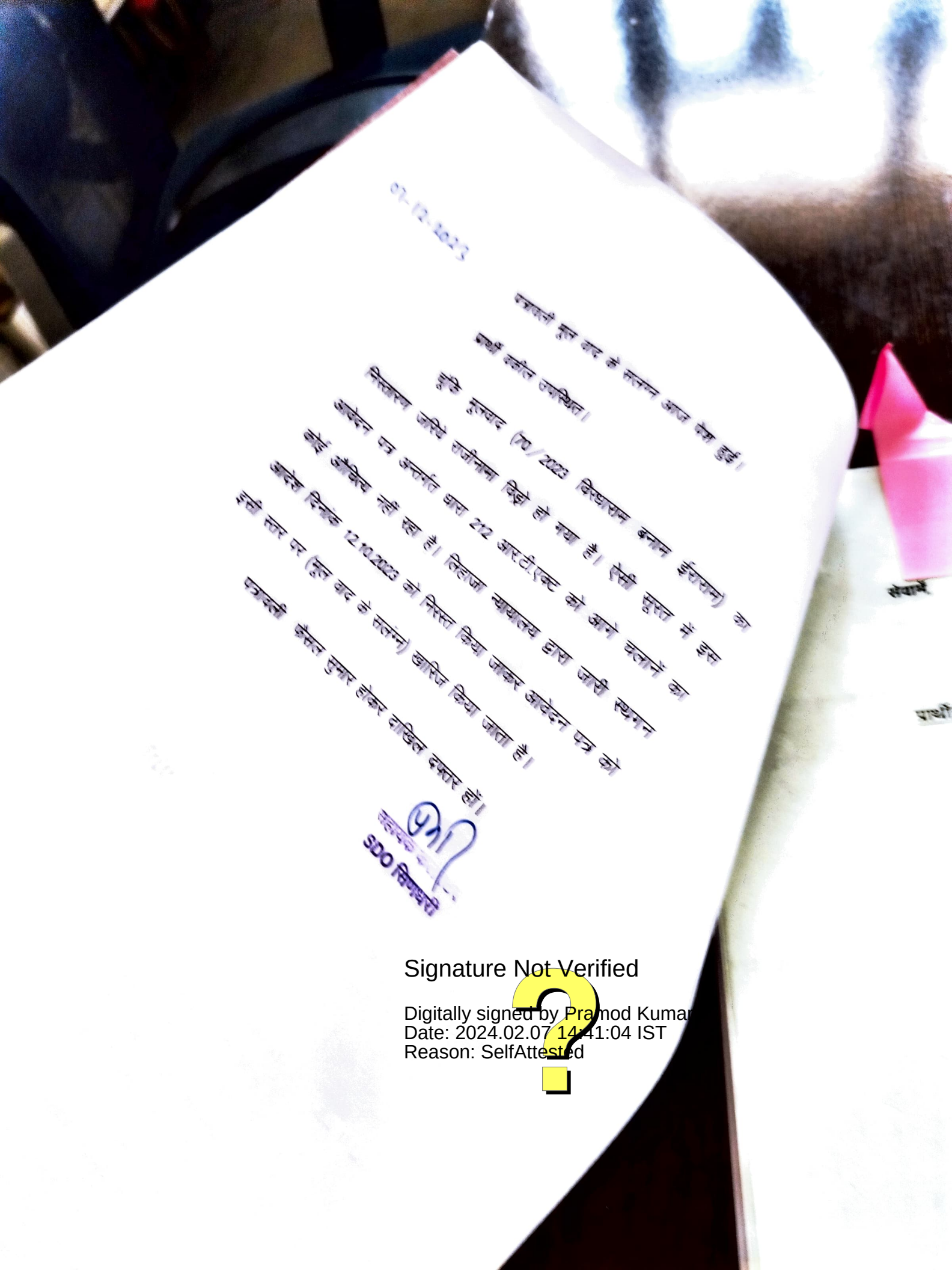

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested